राजस्थान सरकार निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर।

दिनांक :- 19.3.2013

क्रमांक एफ.4(ई) (1) (6) / अलेसे—III /

आदेश संख्या *317* /2012-13

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार सीधी भर्ती संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2011 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशंषानुसार चयनित सूची में से निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 6 के अनुसार परिवीक्षाधीन कनिष्ठ लेखाकार के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए रू0 10000/- प्रतिमाह के स्थाई पारिश्रमिक पर 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्ण होने के पश्चात् पे–बेण्ड (2) 9300–34800 में ग्रेड पे 3200 एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होगे अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संबंध में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1 (2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उनके द्वारा उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता हैं तथा आदेश दिये जाते है कि वे निम्नांकित तालिका में उनके सामने अंकित विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करें :-

क्र. सं.	मेरिट क्रमांक	नाम / पिता का नाम सर्वश्री	श्रेणी	जन्मतिथि	पदस्थापन कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	41	सचिन कुमार शर्मा पुत्र श्री रज्जन लाल शर्मा (रोल नम्बर 201182)	Gen	01.07.1977	कोषालय, बांरा	रिक्त पद पर
2.	53	धनश्याम शर्मा पुत्र श्री श्रवण कुमार शर्मा (रोल नम्बर 702423)	Gen	11.10.1980	सर्व शिक्षा अभियान, चित्तौडगढ	रिक्त पद पर
3.	66	राजेश चन्द्र भीमवाल पुत्र श्री कन्हैया लाल भीमवाल (रोल नम्बर 716012)	SC	01.09.1976	कोषालय, सिरोही	रिक्त पद पर
4.	85	कमल खन्ना पुत्र श्री विशन देव खन्ना (रोल नम्बर 402508)	SC	21.05.1989	कोषालय, डूंगरपुर	रिक्त पद पर
5.	90	रमेश चन्द्र मीणा पुत्र श्री रामपाल मीणा (रोल नम्बर 717865)	ST	01.07.1976	उपकोषालय, कुम्भलगढ (राजसमन्द)	रिक्त पद पर
6.	92	विशाल लोठ पुत्र श्री बी०पी०लोठ (रोल नम्बर 101545)	SC	25.07.1980	कोषालय, उदयपुर	रिक्त पद पर

उपरोक्त अभ्यर्थियों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन दी जा रही है :--

- उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा रवीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
- यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तो के अध्यधीन है ।
- यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक, आरक्षी, सी.आई.डी. (सीबी) जयपुर से अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में संतोषजनक प्रमाण– पत्र प्राप्त होने की शर्त पर है।
- 4. अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय रवास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
- 5. अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुतीर्ण होने पर इन्हें उक्त सेवा से मुक्त किया जा राकेगा।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की परिवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते यथा (विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देथ नहीं होगें ।
- 7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को कार्यग्रहण काल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

8. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो . कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं हैं तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी ।

- 9. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है परन्तु राज्य सरकार इन्हें विभागीय परीक्षा में उत्तीण/अईता प्राप्त कर लेने पर एवं अन्य रूप से स्थायीकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब भी उपयुक्त स्थायी रिक्त पद उपलब्ध होगें इनको राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में स्थायी आधार पर नियुक्त कर सकेगी ।
- 10. उक्त नियुक्तियाँ माननीय न्यायालयों में किचाराधीन विभिन्न प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में दी गई परिलब्धियां एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दो गूना राशि का भूगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा।

उपरोक्त अभ्यर्थी आदेश की पालना में नवनियुक्त विभाग / कार्यालय में आदेश जारी होने की तिथि से 7 दिवस में यथासमय निश्चित रूप से उपस्थिति देकर इस विभाग को सूचित करेगें अन्यथा उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी ।

इस विभाग से पत्र व्यवहार करते समय अभ्यर्थी अपने मेरिट क्रमांक एवं बैच वर्ष का उल्लेख अवश्य करें ।

क्रमांक एफ.4 (ई) (1) (6)/अलेसे–111/ 9391 — 9408 दिनांक — 19.3. 2013 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1. शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर ।
- 2. शासन सचिव, कार्मिक (क-3) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर ।
- 3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।

6. श्री.....

4. निदेशक, ह.च.मा.राज. राज्य लोक प्रशासन संस्थान, राजस्थान, जयपुर ।

..... को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे नवपदस्थापन विभाग / कार्यालय में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से कार्यग्रहण सूचना प्रेषित करावें ।

- 7. निजी सहायक, निदेशक ।
- 8. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतू) ।
- 9. रक्षित / निजी पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक—ाा)

BOND TO BE EXECUTED BY GOVERNMENT SERVANT REQUIRED TO UNDERGO TRAINING ON RS.10/- NON JUDICIAL STAMP PAPER

Sam al

This bond is made on the	date of 2012 by	3041 01
This which is there	resident of	e) of the First Part and resident of
appointed to the post of ACCOUN	Son of Shri	
	Can of Shri	resident of
(First Surety); and (Second surety)	begainafter called collectively the surctices	of the second part in
favor of the Governor of the State of Ra	ajasthan (hereinafter called the Government).	

Whereas the Governor has selected the trainee for appointment to the post of ACCOUNTANT And whereas in accordance with Rules it is necessary for the trainee, before assuming independent

charge of the post for which he has been also selected to undergo training for a period of 16 weeks And whereas the Government have agreed to place the trainee under training on the terms hereinafter mentioned and on the condition that the sureties shall give security for the due performance by

the trainee of the said terms. And whereas the sureties have agreed to give security for the due performance by the trance of

the said terms in the manner hereinafter after appearing.

Now this deed witnesses as follows:-

In consideration of the Government selecting the trainee for appointment to the post of ACCOUNTANT and arranging for his training in accordance with the Rules, and in pursuance of the said agreement, the trainee hereby covenants with the Government that during the period of such training and within a period of Two year after the completion of such training, he shall not resign the post for which he has been selected as aforesaid, nor shall he take up any employment other than post for which he has been so selected.

For the consideration aforesaid in pursuance of the said agreement the trainee and the sureties agree that if, during the period of training or within a period of Two year after the completion of training, the traince shall resign or take other employment in contravention of clause (1) above, the trainee and the sureties shall jointly and severally pay to the Government the double of the emoluments paid by the Government to the trainee during the period of his training together with other expenses incurred by the Government thereon but excluding the amounts paid to the trainee by way of traveling and daily allowances under the relevant rules:

Provided that the trainee and the Parities shall not be required so to pay the emoluments paid to the trainee during the period of his training, if the training imparted to the trainee, in the opinion of the Government, likely to provide useful in the new appointment also.

In witness whereof this bond has been signed by the traince and the sureties the day in year above written.

Signed by the Traince:

Witness (1)

Witness (11)

Signed by the First Surety

Witness (1)

Witness (II)

Signed by the Second Surety

Witness (1)

Witness (II)

Note:- All above persons give Full name & Address

Accepted D.T.A.